अध्याय–15

सतर्कता संबंधी कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ

15.1 सतर्कता ढांचा

15.1.1 कोयला मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा एक स्वायत्तशासी निकाय के सतर्कता प्रशासन और मंत्रालय के स्टाफ के संबंध में सतर्कता पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। संयुक्त सचिव सह–मुख्य सतर्कता अधिकारी अंशकालिक आधार पर मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के प्रमुख हैं। इस कार्य में एक निदेशक, एक अवर सचिव एवं एक अनुभाग अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। कोल इंडिया लि., इसकी सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और कोयला खान भविष्य निधि संगठन के सतर्कता स्कन्धों के प्रमुख पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सीआइएल और इसकी सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और कोयला खान भविष्य निधि संगठन के सतर्कता संगठन में लगभग 300 कार्यपालक / गैर–कार्यपालक हैं।

15.1.2 कोयला और लिग्नाइट के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कोयला खान भविष्य निधि संगठन का निगरानी प्राधिकारी होने के कारण मंत्रालय इन संगठनों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों को कारगर बनाने तथा सतर्कता विभागों के कार्यकरण की निगरानी करने पर विशेष ध्यान देता है।

15.1.3 कोल इंडिया लि. पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में फैली 8 सहायक कंपनियों की धारक कंपनी है। कोल इंडिया लि. का सतर्कता विभाग इसकी सहायक कंपनियों के सतर्कता स्कंधों के कार्यपालकों का समन्वयन करता है और साथ ही कोयला मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए संपर्क सूत्र के रूप में भी कार्य करता है।

15.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लि., इसकी सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन तथा कोयला खान भविष्य निधि संगठन में 29 अक्तूबर, 2012 से 03 नवम्बर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सीवीसी द्वारा की गयी अधिसूचना के अनुसार सतर्कता जागरूकता अवधि मनाने का मुख्य जोर जागरूकता उत्पन्न करना और भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रचार करना था। अनुपालन के भाग के रूप में सभी सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के संदेश परिचालित किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर बैनर / पोस्टर लगाए गए। कोयला कंपनियों ने सतर्कता जागरूकता अवधि के दौरान खरीद, शिकायत निवारण, सामग्री प्रबंध, पद्धतियों / प्रक्रियाओं में सुधार लाने और पारदर्शिता आदि मुद्दों पर चर्चा–सत्र और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

15.3 निवारक सतर्कता

15.3.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2012 के भाग के रूप में सभी सहायक कम्पनियों के सभी कर्मचारियों से प्रणाली सुधार संबंधी सुझाव आमंत्रित किए गए और प्राप्त सुझावों का विश्लेषण किया गया तथा सीआईएल एवं सहायक कंपनियों द्वारा उनके कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए जांच की गई।

कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सुझावों को स्वीकार किया गयाः–

(i) सतर्कता अनुमोदन एवं जब दण्ड दिया गया हो, ऐसी स्थिति में पदोन्नति पर प्रभाव में सुस्पष्टता लाने के लिए सीडीए नियमों/सीसीसी में नीति को शामिल किया गया है।

(ii) कंपनी के इन्ट्रानेट पोर्टल में श्रेणीबद्ध पद्धति/खोज फार्मेटों में सभी नियमों, नीतियों तथा अनुवर्ती संशोधनों को लाइन पर उपलब्ध कराया जाए। सार्वजनिक खरीद, निविदा देने, कंपनी के नियमों के आधार पर विभिन्न संविदाओं को अवार्ड करने एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निदेशों के लिए "करो तथा मत करो" सुझाव सृजित किए जाएं।

(iii) बेहतर वित्तीय लेखांकन, रिकार्ड अद्यतन करने एवं कार्यनिष्पादन/दक्षता निगरानी के लिए सहायक कंपनी के बिक्री कार्यालय और संबंधित आरएसओ के बीच सम्पर्कता।

(iv) इलेक्ट्रानिक मीडिया में भाग लेने के लिए पूर्वाअनुमति प्राप्त करने हेतु सीडीए नियम में परिवर्तन।

(v) कागज का अधिक उपयोग किए बिना सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए एमआईएस, पूछताछ आधारित सर्च एवं रिपोर्टिंग में सुधार।

(vi) ई–नीलामी प्रक्रियाओं में सुधार।

(vii) भर्ती क्रियाविधि तथा कैम्पस के माध्यम से चयन एवं खुले विज्ञापन में सुझाव।

(viii) हैम की खरीद, ठेकों के अवार्ड में पारदर्शिता तथा निगरानी एवं डाटा संग्रहण के आटोमेसन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।

संबंधित विभागाप्रमुखों को उपर्युक्त प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

15.3.2 सतर्कता ढांचे की कार्यप्रणाली तथा उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करने के लिए 31.01.2013 को सचिव (कोयला) ने कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसी तथा सीएमपीएफओ के सीएमडी एवं सीवीओ के साथ एक परस्पर विचार–विमर्श सत्र आयोजित किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य "सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता लाना" था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में निम्नलिखित सतर्कता निवारक कार्यकलाप शुरू किए गएः

15.3.3 एनसीएलः नवाचार तकनीकियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को "सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार" देना पहली बार लागू किया गया। दो मुख्य प्रबंधकों तथा एक वरिष्ठ प्रबंधक को पुरस्कार दिया गया।

15.3.4 सीसीएलः सिविल तथा खरीद संविदाओं में सामान्य अनियमितताओं पर 2 कार्यशालाएं आयोजित की गई। ई–निविदा तथा रिवर्स बोली के माध्यम से परिवहन एवं आउटसोर्सिंग संविदाओं को अवार्ड करने से संबंधित सेमिनार और सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता से सम्बद्ध सेमिनार आयोजित किए गए।

15.3.5 एमसीएलः सीएमडी, एमसीएल ने सतर्कता ब्लूटिन, 2012 का अनावरण इस उद्देश्य से किया कि सतर्कता ढांचे को अधिक नागरिक केन्द्रित बनाया जाए और टोल फ्री टेलीफोन नं. 18003456795 का शुभारम्भ किया।

15.3.6 बीसीसीएल "भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई सभी लड़ाईयों की जननी है" विषय पर अन्तर विद्यालय नारा लेखन ओर आलेखन प्रतियोगिता

आयोजित की गई जिसमें धनबाद के 9 भिन्न–भिन्न विद्यालयों ने भाग लिया। बीसीसीएल के कार्यपालकों के लिए" भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना अभी दूर है " तथा गैर–कार्यपालकों के लिए "जालसाजी से सफल होने से बेहतर है ईमानदारी से असफल होना " विषयों पर निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं।

15.3.7 एसईसीएलः सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कार्यपालकों ने भाग लिया और सीबीआई, पुलिस, भारतीय रेलवे एवं आईआईसीएम के अनुभवी संकाय ने भाग लिया तथा भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न मसलों पर भाषण दिया। एसईसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 2/3दिनों की चार कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें वरिष्ठ स्तर के 270 अधिकारियों ने भाग लिया।

15.3.8 डब्ल्यूसीएलः स्कूली बच्चों के लिए वाग्मिता प्रतियोगिता तथा निबंध प्रतियोगिता एवं कालेज के विद्यार्थियों के लिए "भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए पारदर्शिता की भूमिका" विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। "विभागीय जांच " विषय पर एक दो दिवसीय कार्यशाला तथा विशेष भाषण का आयोजन किया गया।

15.3.8 सीएमपीडीआईएलः कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों एवं स्कूल बच्चों के लिए नारा लेखन, निबंध लेखन एवं तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

15.3.9 ईसीएलः ईसीएल के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए "सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता " विषय पर 4 सेमिनार आयोजित किए गए। ईसीएल मुख्यालय में श्री उमर मुदी, सीडीआई, सीवीसी, श्री राजीव रंजन, एसपी, सीबीआई, कोलकाता एवं श्री अभिजीत मजूमदार, वरिष्ठ संकाय, आईआईसीएम रांची ने एक दिवसीय भाषण का आयोजन किया गया जिसमें ईसीएल के 100 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

15.3.10 एनएलसीः कर्मचारियों के लिए नियमों, विनिमयों तथा क्रियाविधियों के बारे में जागरूकता पैरा करने, यूनिट स्तर पर कार्यपालकों के लिए अंग्रेजी में वाग्मिता तथा निबंध लेखन और गैर–कार्यपालकों तथा श्रमिकों के लिए तमिल में निबंध लेखन का आयोजन किया गया। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक प्रभावी औजार के रूप में "कैसे प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है" विषय पर जोर देते हुए एक सार्वजनिक समारोह में एक लघु फिल्म "परिवर्तन" प्रदर्शित की गई।

15.4 निगरानी और पता लगानाः

15.4.1 कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श से वर्ष 2012–13 के लिए संदिग्ध अधिकारियों की पहचान की है और सहमत सूची तैयार की है।

15.4.2 सीसीएल में, 10 मामलों में जांच आरंभ की गई तथा 13 मामले पूरे किए गए। इसके अलावा, 136 अधिकारियों को संवेदनशील पदों से स्थानान्तरित किया गया।

15.4.3 ईसीएल में, 5 मामलों में जांच आरंभ की गई तथा 2 मामले पूरे किए गए। इसके अलावा, 9 कार्यपालकों एवं 702 गैर–कार्यपालकों को संवेदनशील पदों से स्थानान्तरित किया गया।

15.4.4 एनसीएल में, 124 मामलों में जांच आरंभ की गई तथा 62 मामले पूरे किए गए। इसके अलावा, 20 औचक जांचें भी की गईं।

15.4.5 वर्ष के दौरान एमसीएल में 8 मामलों में जांच आरंभ की गई। इस अवधि के दौरान 6 मामलों में जांच की कार्रवाई पूरी हो गयी तथा 26 औचक जांचें भी की गईं।

15.4.6 एसईसीएल में, 25 मामलों में जांच आरंभ की गई तथा 17 मामले पूरे किए गए।

15.4.7 सीएमपीडीआईएल में, एक मामले में जांच आरंभ की गई और उसे पूरा किया गया। तीन सीटीई टाईप के निरीक्षण किए गए तथा विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में 7 औचक जांचें की गई।

15.4.8 डब्ल्यूसीएल में 60 मामलों में जांच आरंभ की गई जिनमें से 30 मामले पूरे किए गए। इसके अलावा 31 औचक जांच की गयी।

15.4.9 बीसीसीएल में 20 मामलों में जांच आरंभ की गई जिनमें से 26 मामले पूरे किए गए। इसके अलावा, वर्ष 2011–12 के दौरान बीसीसीएल में सीबीआई द्वारा 04 नियमित मामले दर्ज किए गए। 209 कर्मचारियों को संवेदनशील पदों से स्थानांतरित किया गया।

15.4.10 एनएलसी में 226 मामलों की जांच शुरू की गयी जिनमें से 183 मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। इसके अलावा 144 औचक जांच की गयी जिनमें से 89 मामले सतर्कता मामलों में परिवर्तित हो गए।

15.5 दंडात्मक कार्रवाई

कोयला कंपनियों और कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में जांच हेतु लिए गए मामलों, विभागीय जांच मामलों, जिनमें दंडित किया गया है, निलंबित किए गए अधिकारियों की संख्या, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज नियमित मामलों की संख्या की स्थिति नीचे दी गई है:–

जांच हेतु लिए गए कुल मामले: 495

विभागीय जांच के कुल मामले: 236

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज नियमित मामलों की कुल संख्या : 17

निलंबित अधिकारियों की कुल संख्या: 08

जिन मामलों में बड़ा दंड किया गया, उनकी कुल संख्या : 68

जिन मामलों में हल्का दंड दिया गया उनकी कुल संख्या : 56

15.6 शिकायतों का ऑन–लाइन रजिस्ट्रेशन

विभिन्न आवेदनों अर्थात शिकायत के ऑन–लाइन रजिस्ट्रेशन और भर्ती के लिए ऑन–लाइन आवेदन के लिए एमसीएल में डायनमिक वेबसाइट पोर्टल पहली बार आरंभ किया गया है और एमसीएल, मुख्यालय में ईएमडी का ऑन–लाइन प्रस्तुत करना विकसित किया गया है। हाल ही में एमएम विभाग द्वारा नियमित रूप से उनके द्वारा जारी आपूर्ति आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है।

15.7 भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी को शक्ति प्रदान करने के संबंध में सीवीसी के अनुदेश के अनुपालन में सीसीएल में परिवर्ती बोली के साथ ई–निविदा लागू की गयी है। आज की तारीख तक लगभग 211 एनआईटी, परिवहन कार्य के संबंध में प्रतिवर्ती बोली प्रणाली के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा आमंत्रित की गयी है।

15.8 ई–खरीद – भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी को शक्ति प्रदान करने के संबंध में सीवीसी के अनुदेश के अनुपालन में अप्रैल,

2010 से सीसीएल में ई–खरीद लागू की गयी है। ई–खरीद के लिए सेवा प्रदाता के पोर्टल का प्रयोग करके दिसम्बर, 2012 तक ई–खरीद पद्धति द्वारा खरीद के दो सौ पैंतालीस मामले आरंभ किए गए हैं ताकि खरीद/सेवा ठेका अवार्ड करने को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

15.9 ई–भुगतान – सीसीएल सतर्कता के काफी प्रयास और बातचीत के पश्चात सीसीएल मुख्यालय और सीसीएम के क्षेत्रों में ई–भुगतान आंरभ किया गया है और पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया गया है। सीसीएल मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रों में ई–नीलामी पद्धति के माध्यम से लगभग 99.66 प्रतिशत भुगतान किया गया है।

15.10 आईटी का उपयोग और ई–गवर्नेन्सः दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद एनसीएल ने बड़ी मात्रा में ई–खरीद आरंभ की है। एनसीएल की वेबसाइट को निम्नलिखित के लिए अद्यतनकृत किया गया है।

(i) सीवीओ का कार्नर नामक एक लिंक;

(ii) "सतर्कता संदर्श " का ई–प्रकाशन" ;

(iii) बिक्री एवं विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित सूचना;

(iv) शिकायत निवारण प्रणाली सेल (जीआरएससी);

(v) सतर्कता मामलों से संबंधित एक सार–संग्रह "स्फूर्ति" का ई–प्रकाशन किया गया है;

(vi) भुगतान के लिए लंबित ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों की स्थिति को अपलोड किया जाता है तथा आवधिक अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।